

CET-BED-2019 (DISTANCE MODE)

नामांकन हेतु विश्वविद्यालय विकल्प प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में आवश्यक योग्यता एवं शर्तें

नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवश्यक योग्यता एवं शर्तें दूरस्थ शिक्षा पद्धति (Distance Education Mode) के माध्यम से संचालित नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता :-

- (i) दूर-शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम मात्र सेवारत अध्यापकों के लिए है ।
- (ii) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर पास होना आवश्यक है (अनारक्षित अभियंत्रण स्नातक के लिए 55 प्रतिशत तथा आरक्षित अभियंत्रण स्नातक के लिए 50 प्रतिशत) । उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा ।
(Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree (10+2+3) and/ or Master's Degree in Science/Social Science/Humanity, Bachelors in Engineering/ Technology with specialisation in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the [B.Ed.](#) programme.)
- (iii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान अथवा विधि द्वारा स्थापित प्रारम्भिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक ।
(Trained in-service teachers in elementary education working in a school recognized permanently by Central Government/State Government/Public Sector Undertaking or a body incorporate as established under law.)
- (iv) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा स्थाई मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में स्थाई/अस्थायी रूप से कार्यरत वैसे सेवारत अभ्यर्थी जिन्होंने एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूरा किया हो ।
(Working Teachers of a permanently recognized school by Central Government/State Government/Public Sector Undertaking or a body incorporate as established under law, who have completed a NCTE recognized teacher education programme through face-to-face mode.)
- (v) अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक जिन्हें एक मान्यता प्राप्त स्कूल में दो साल का शिक्षण अनुभव हो

Untrained working Teachers who have two years teaching experience in a recognized school:

- (a) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान अथवा विधि द्वारा स्थापित संस्था से स्थाई मान्यता प्राप्त किसी प्राइमरी/मिडिल/सेकेण्ड्री/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय से नियमित/अस्थायी रूप में दिनांक 31.05.2017 तक दो वर्षों का शैक्षणिक अनुभव पूरा किया हो ।
(He/she must have completed atleast two years of teaching experience, as on 31.05.2017, as a regular or temporary teacher in a Primary/Middle/Secondary/Higher Secondary School permanently recognized by the Central Government/State Government/Public Sector Undertaking or a body incorporate as established under law. Teaching experience acquired for teaching Intermediate classes will not be reckoned as a teaching experience for this purpose.)
- (b) आवेदक को ऊपर वर्णित दो वर्षों का शैक्षणिक अनुभव एक वेतनभोगी शिक्षक एवं नियमित/अस्थायी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक के रूप में प्राप्त हो ।
(He/she must have acquired the aforesaid two years of teaching experience as a paid teacher, appointed against a regular/temporary vacancy.)
- (c) बी०एड० कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने के दिन एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो ।
(He/she must be serving as a teacher on the date he/she files his/her application for admission into B.Ed. programme of distance mode.)

नोट 1.- नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम , सत्र 2017-19 में नामांकन के लिए के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि वे सत्र 2017-19 में किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हैं । अभ्यर्थी यदि किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के सत्र 2017-19 में नामांकित हैं तो उनका नामांकन नालन्दा खुला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम के सत्र 2017-19 में नहीं होगा । क्योंकि एक ही सत्र में दो पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जाना वैधानिक नहीं है ।

नोट 2 : जैसे अभ्यर्थी जो 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। ऐसे शिक्षक जिनका चयन काउन्सिलिंग के लिए किया गया है, काउन्सिलिंग के दौरान न केवल यह बताएँ कि वे 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी से आते हैं बल्कि इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे। इस श्रेणी के जैसे शिक्षक जो यह प्रमाणित नहीं कर पाएँगे कि वे 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी से आते हैं तो उन्हें इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु आवश्यक योग्यता एवं शर्तें

दूरस्थ शिक्षा पद्धति (Distance Education Mode) के माध्यम से संचालित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता :-

- दूर-शिक्षा पद्धति के माध्यम से संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम मात्र सेवारत अध्यापकों के लिए है।
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बी०एड० पाठ्यक्रम में नामांकन प्राप्त करने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 50 प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर पास होना आवश्यक है (अनारक्षित अभियंत्रण स्नातक के लिए 55 प्रतिशत तथा आरक्षित अभियंत्रण स्नातक के लिए 50 प्रतिशत)। उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करने वाले आवेदकों का आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

(Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor's Degree (10+2+3) and/ or Master's Degree in Science/Social Science/Humanity, Bachelors in Engineering/ Technology with specialisation in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the B.Ed. programme.)

- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान अथवा विधि द्वारा स्थापित प्रारम्भिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक।

(Trained in-service teachers in elementary education working in a school recognized permanently by Central Government/State Government/Public Sector Undertaking or a body incorporate as established under law.)

- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा स्थाई मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में स्थाई/अस्थायी रूप से कार्यरत जैसे सेवारत अभ्यर्थी जिन्होंने एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूरा किया हो।

(Working Teachers of a permanently recognized school by Central Government/State Government/Public Sector Undertaking or a body incorporate as established under law, who have completed a NCTE recognized teacher education programme through face-to-face mode.)

- अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक जिन्हें एक मान्यता प्राप्त स्कूल में दो साल का शिक्षण अनुभव हो

Untrained working Teachers who have two years teaching experience in a recognized school:

- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्थान अथवा विधि द्वारा स्थापित संस्था से स्थाई मान्यता प्राप्त किसी प्राइमरी/मिडिल/सेकेण्ड्री/हायर सेकेण्ड्री विद्यालय से नियमित/अस्थायी रूप में दिनांक 31.03.2019 तक दो वर्षों का शैक्षणिक अनुभव पूरा किया हो।

(He/she must have completed atleast two years of teaching experience, as on 31.05.2017, as a regular or temporary teacher in a Primary/Middle/Secondary/Higher Secondary School permanently recognized by the Central Government/State Government/Public Sector Undertaking or a body incorporate as established under law. Teaching experience acquired for teaching Intermediate classes will not be reckoned as a teaching experience for this purpose.)

- आवेदक को ऊपर वर्णित दो वर्षों का शैक्षणिक अनुभव एक वेतनभोगी शिक्षक एवं नियमित/अस्थायी रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त शिक्षक के रूप में प्राप्त हो।

(He/she must have acquired the aforesaid two years of teaching experience as a paid teacher, appointed against a regular/temporary vacancy.)

- बी०एड० कार्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन जमा करने के दिन एक शिक्षक के रूप में कार्यरत हो।

(He/she must be serving as a teacher on the date he/she files his/her application for admission into B.Ed. programme of distance mode.)

नोट 1.- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम, सत्र 2019-21 में नामांकन के लिए के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि वे सत्र 2019-21 में किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित नहीं हैं। अभ्यर्थी यदि किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के सत्र 2019-21 में नामांकित हैं तो उनका नामांकन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बी०एड० पाठ्यक्रम के सत्र 2019-21 में नहीं होगा। क्योंकि एक ही सत्र में दो पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जाना वैधानिक नहीं है।

नोट 2 : वैसे अभ्यर्थी जो 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी में आते हैं, के लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं । ऐसे शिक्षक जिनका चयन काउन्सिलिंग के लिए किया गया है, काउन्सिलिंग के दौरान न केवल यह बताएँ कि वे 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी से आते हैं बल्कि इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे । इस श्रेणी के वैसे शिक्षक जो यह प्रमाणित नहीं कर पाएँगे कि वे 1467 अप्रशिक्षित सरकारी शिक्षक की श्रेणी से आते हैं तो उन्हें इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

नामांकन हेतु विश्वविद्यालय विकल्प प्रस्तुत करने का प्रारूप

उपर्युक्त सभी उल्लिखित शर्तों को पढ़ने के उपरान्त अभ्यर्थीगण 1. नालन्दा खुला विश्वविद्यालय तथा 2. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में से किसी एक विश्वविद्यालय का चयन कर अपना विकल्प cet-bed@nou.ac.in ई-मेल के माध्यम से दिनांक 30.05.2019 तक नीचे दिये गये प्रारूप में प्रेषित करेंगे ।

1. Name of the Candidate_____
2. Roll No of the Candidate_____
3. Date of Birth of the Candidate_____
4. Choice of the Candidate _____ (Name of the University)

—: महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

1.	विश्वविद्यालय विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि	27.05.2019 से 30.05.2019 तक
2.	विश्वविद्यालयवार द्वितीय सूची के प्रकाशन की तिथि	02.06.2019
3.	द्वितीय सूची के चयनित अभ्यर्थियों के लिए काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि	04.06.2019
4.	काउन्सिलिंग शुल्क (SBI Collect द्वारा) जमा करने की तिथि	03.06.2019 से काउन्सिलिंग की अंतिम तिथि तक



(एस० पी० सिन्हा)
राज्य नोडल पदाधिकारी
सह कुलसचिव(प०)